

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भारकर विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 76/2011 G.C.M.S. No. 2011/00090 वर्ज दिनांक : 11.11.2011

अपीलार्थिगणः

1. मृत सवाराम पुत्र प्रभुजी, जाति कलबी पटेल के विधिक वारिसानः-
 - 1/1 गवरीदेवी धर्मपत्नि सवाराम, उम्र 73 वर्ष
 - 1/2 मंगलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 55 वर्ष
 - 1/3 मुलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 50 वर्ष
 - 1/4 वेलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 42 वर्ष
 - 1/5 मोहनराम पुत्र सवाराम, उम्र 36 वर्ष
 - 1/6 भैराराम पुत्र सवाराम, उम्र 30 वर्ष, सभी जातिगण कलबी पटेल, निवासीगण सरदारपुरा की ढाणी, तहसील रोहट, जिला पाली।
 - 1/7 गोगीदेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि राजाराम, उम्र 53 वर्ष, जाति पटेल, निवासी भोईवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
 - 1/8 गीतादेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि दुदाराम, उम्र 45 वर्ष, जाति पटेल, निवासी किशनगढ़, तहसील आहोर व जिला जालोर।
 - 1/9 शांतीदेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि सुजाराम, उम्र 38 वर्ष, जाति पटेल, निवासी धींगाणा, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. केराराम पुत्र प्रभुजी
3. जपूराराम पुत्र प्रभुजी
4. दरगाराम पुत्र प्रभुजी
5. खंगारराम पुत्र प्रभुजी
6. भीमाराम पुत्र प्रभुजी
7. थानाराम पुत्र प्रभुजी सभी जातिगण पीटल, निवासीगण सरदारपुरा की ढाणी, सरहद राणा, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. बाबूदास पुत्र सेवादास, जाति साद, निवासी सरदारपुरा की ढाणी, तहसील रोहट व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम बाबूदास में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011

पैरोकार-

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांद्स।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 24.09.2025

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

42/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम बाबूदास में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अपीलार्थी वादीगण ने प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरुद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इन अभिवचनों के साथ पेश किया कि प्रतिवादी रेस्पोंडेंट ने ग्राम सरदारपुरा की ढाणी में खसरा नंबर 224 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा बारानी भूमि वादी अपीलार्थीगण की खातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा स्थित है एवं इस भूमि में से 0.10 बिस्वा भूमि पर दावा दिनांक 02.08.1999 से करीब 8 वर्ष पूर्व संवत् 2047 चैत्र मास में (मार्च सन 1991 में) वाद के संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित क्रम संख्या 2 पर दर्ज 0.10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर कांटों की बाड़ बनाकर नाजायज कब्जा कर लिया। इस अतिक्रमित भूमि की उत्तरी भुजा 14 गट्टा, दक्षिणी भुजा 26 गट्टा व पूर्वी भुजा 18 गट्टा है तथा अतिक्रमित भूमि के पड़ोस वाद पद संख्या 2 में दर्ज है। वादी अभिलार्थीगण वाद में यह अभिवचन भी रहा कि वादग्रस्त भूमि बाड़ा में वाद प्रस्तुति के समय तक कोई निर्माण किया हुआ नहीं था, जिसका फोटो दावा के साथ में पेश किया। बावजूद तकाजा प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर वादी अपीलार्थीगण को वादग्रस्त अतिक्रमित भूमि से प्रतिवादी के अधिनिष्कासित का वाद लाना पड़ा। प्रतिवादी रेस्पोंडेंट का वादोतर में यह प्रतिरक्षा रही कि उसने वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 224 पर अतिक्रमण नहीं किया, उसका बाड़ा ग्राम सरदारपुरा की आबादी में हैं तथा बाड़ा पर 40 वर्षों से कब्जा है तथा वादोतर में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट का यह भी अभिवचन रहा कि वादग्रस्त बाड़ा सरदारपुरा की ढाणी के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से वाद अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है तथा म्याद बाहर है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अध्ययन किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी ने जवाब में यह अंकित किया है कि बाड़ पर गत 50 वर्षों से यानि वादग्रस्त भूमि पर उसका 50 वर्षों से कब्जा है, कच्चा-पक्का निर्माण किया हुआ है और पानी का हौद बना हुआ है। जबकि वादोतर में प्रतिवादी का यह कथन नहीं हैं, बल्कि प्रतिवादी रेस्पोंडेंट ने वादोतर में कथन किया कि 40 वर्षों से वादग्रस्त भूमि बाड़ा पर उसका कब्जा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि का नाप दावा में दर्ज नाप से अधिक बताया, परंतु तत्संबंधी नाप अथवा सीमांकन का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रतिवादी ने बयान में बाड़ा पर कब्जा संबंधी पंचायत की आज्ञा होना कथन किया तथा बाड़े के दस्तावेजी सबूत उसके पास होना बयानों में कथन किया। परंतु प्रतिवादी रेस्पोंडेंट ने वो दस्तावेज पेश नहीं किए। अतः प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरुद्ध अवधारणा की जानी चाहिए



प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत गवाहान के बयान कतई विश्वसनीय नहीं हैं व
राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

विरोधाभासी है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉण्डेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांत द्वारा रेस्पॉण्डेंट प्रतिवादी के विरुद्ध वादग्रस्त खातेदारी आराजी में बेदखली हेतु वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 को वादपत्र परिसीमा अवधि से बाधित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत वादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 224 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा में से संलग्न नक्शा अनुसार 5 बिस्वा भूमि पर करीब 8 वर्ष पूर्व यानि संवत् 2047 अर्थात् मार्च 1991 को कांटों की बाड कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया। जिसमें कोई निर्माण किया हुआ नहीं है, के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में विवादक संख्या 1 विरचित कर इसे वादी के जिम्मे रखा गया। प्रकरण में वादीगण अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र दिनांक 23.08.1999 को प्रस्तुत किया। उक्त विवादक के निर्णयन में विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य में प्रतिवादी का कब्जा 60-65 वर्ष पुराना होने का कथन करने के आधार पर अतिक्रमण वर्ष 1991 से नहीं होकर उससे लगभग 20 वर्ष से भी अवधि का पुराना मानते हुए इसे वादी अपीलांत के विरुद्ध निर्णित किया गया। जबकि प्रथम तो परिसीमा अवधि से बाधित होने के संबंध में विवादक प्रतिवादी के जिम्मे रखा जाना चाहिए। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा के पैरा संख्या 3 में इस संबंध में यह उल्लेख किया है कि उसका करीब 40 वर्षों से कब्जा है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा भी महज कथन किया गया है कि उसका 40 वर्षों से कब्जा है। वादी द्वारा भी वादपत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं होकर महज कांटों की बाड है। कांटों की कच्ची बाड 30-40 वर्ष पुरानी हों, यह स्वीकार योग्य नहीं है। विद्वान




राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली


विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार की सीमांकन संबंधित आदेशिका दिनांक 17.10.1997 के आधार पर अतिक्रमण 30-40 वर्ष पुराना होना माना है। जबकि प्रकरण में न तो संबंधित तहसीलदार का परीक्षण किया गया। उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा बिना किसी साक्ष्य के महज प्रतीत होने के आधार पर अतिक्रमण पुराना होना अंकित किया गया। जो विधिसम्मत व स्वीकार योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का कब्जा वर्ष 1991 से पूर्व मानकर वादपत्र अवधि बाधित होना मानना, पूर्णतया निराधार व बिना किसी साक्ष्य के आधार पर किया गया निर्णय है। जो स्वीकार योग्य नहीं हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 2 व 3 का निर्णयन साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण नहीं कर महज विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय के आधार पर निर्णयन किया गया है। विवाद्यक संख्या 3 म्याद से संबंधित है, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। म्याद धारा 183 के वादपत्र में निर्णायक बिंदु होता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा मौखिक कथनों के अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विश्वास हों कि वादपत्र म्याद बाहर है। लेकिन इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया है। जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में यह भी उज्र लिया गया है कि प्रतिवादी का कब्जाशुदा बाडा सरदारपुरा की द्वाणी के आबादी क्षेत्र में स्थित है। जबकि वादी द्वारा अपने वादपत्र में इसे अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज होना अंकित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में विवाद्यक संख्या 4 विरचित कर इसे प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया है तथा इसे तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया गया है। अर्थात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर अतिक्रमण होना, स्वीकार किया है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व दल से विस्तृत सीमांकन करवाते हुए वर्तमान अद्यतन मौका स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विस्तृत विवेचन कर विवाद्यकवार निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया, विधिसम्मत व उचित होगा।


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली




आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांत अंतर्गत धारा 223 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 42/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम बाबूदास में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व दल से विस्तृत सीमांकन करवाते हुए वर्तमान अद्यतन मौका स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विस्तृत विवेचन कर स्पीकिंग आदेश के साथ विवाद्यकवार निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2025 को असालतन/वकालतन सहायक कलक्टर रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।



निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली